ग्राम पंचायत अणु, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अणु, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

<u>प्रधान :—</u>

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उर्मिला भारद्वाज	23.1.2011 से 22.1.2016
2.	श्री सुरिन्दर कुमार	23.1.2016 से लगातार

<u>सचिव :—</u>

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री मनोहर लाल	1.4.2013 से 5.2.2015
2.	श्रीमति बिन्टो कुमारी	6.2.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत अणु के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.26
2.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	11.02
3.	7	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार न करना	—

4.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	06.17
5.	10	खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित न करना	–
6.	11	अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर भुगतान करना	0.22

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत अणु, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 18.5.2016 से 23.5.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय अणु में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	3/2014	12/2013
2014–15	3/2015	1/2015
2015–16	3/2016	12/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत अणु, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 112, दिनांक 24.5.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला–9 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत अणु द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत अणु के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	370362	73184	443546	39688	403858
2014–15	403858	104984	508842	196643	312199
2015–16	312199	113512	425711	252139	173572

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत अणु के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1095094	1942707	3037801	1456371	1581430
2014–15	1581430	1562694	3144124	2442530	701594
2015–16	701594	2985038	3686632	2584201	1102431

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

स्व स्त्रोत :–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	173572
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते में शेष (KCCB-82934)	172067
हस्तगत राशि	1505

अनुदान :–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	1102431
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते में शेष	1102429
हस्तगत राशि	2

बैंक खाता संख्या	राशि
Indira aavas Yojna KCCB 82511	3490

General Fund KCCB 24529	354461
MMGram Path Yoj 71823	32659
Water guard KCCB 43745	1542
Rajeev Avas Yojna KCCB 16180	160
Adarsh Gram Yojna 47825	21014
MNREGA HGB 14147	0
13th FC PNB 9257996	689103
कुल राशि	**₹1102429**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत अणु की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹26100 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹26100 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	18700	54100	72800	49700	23100
2014–15	23100	89700	112800	78900	33900
2015–16	33900	75700	109600	83500	26100

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6. अनुदान ₹11.02 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1102431 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इसके अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि वर्ष 2013–14 में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे, जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹617181 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियां तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर।
3. भण्डार रजिस्टर।
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच–पड़ताल रजिस्टर।

10. खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई माह में खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता–ख (अनुदान) में जमा निधियों पर अर्जित उचित ब्याज को खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता–क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

11. अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर भुगतान के फलस्वरूप ₹22373 का अधिक भुगतान :–

व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹22373 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया है।

1. मनरेगा के वाउचर संख्या : 38, दिनांक 7.12.2013 की जांच में पाया कि आपूर्तिकर्त्ता मैसर्ज नितिन मिन्हास को कार्य “नि0 वर्षा जल संग्रहण टैंक, दर्शन ध्यान पुरी” के लिए ट्रैक्टर संख्या : HP 67–3178 में निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹14861 का भुगतान किया गया था।

3.5 trolly (245 cubic ft) Crusher bajri

2 trolly (140 cubic ft) Crusher sand

0.5 trolly (35 cubic ft) Boulder

जबकि वाउचर संख्या : 35, दिनांक 6.12.2013 में इसी आपूर्तिकर्त्ता ने इसी ट्रैक्टर संख्या : HP 67–3178 में में कार्य "नि0 वर्षा जल संग्रहण टैंक, अनीता देवी" के लिए निम्न दरों से सामग्री की आपूर्ति की थी।

7 trolly (490 cubic ft) Crusher bajri @ ₹22.50/- per cft	11025
4 trolly (280 cubic ft) Crusher bajri @ ₹22.50/- per cft	6300
1 trolly (70 cubic ft) Boulder @ ₹15/- per cft Ø	1050
कुल राशि	**₹18375**

इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता को एक ही अवधि में अलग–अलग दरों के भुगतान के फलस्वरूप ₹5673 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

सामग्री	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक / अनुचित भुगतान (₹)
245 (cubic ft) Crusher bajri	@₹22.50/- per cft=₹5513	14861	5673
140 (cubic ft) Crusher sand	@₹22.50/- per cft=₹3150		
35 (cubic ft) Boulder	@₹22.50/- per cft=₹525		
	Total=₹9188		

2. मुख्य रोकड़ वही के निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ता को प्रस्ताव संख्या : 6, दिनांक 5.6.2014 में अनुमोदित दरों से निम्न विवरणानुसार ₹14400 का अधिक भुगतान किया गया था।

वा0 सं0	सामग्री	अनुमोदित दरें एवं भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक / अनुचित भुगतान (₹)
103, दिनांक 21.1.2015	270 (cubic ft) Crusher sand (3 trolly)	@₹30/- per cft=₹8100	9900	1800
	450 (cubic ft) Crusher bajri (5 trolly)	@₹24/- per cft=₹10800	14000	3200
	270 (cubic ft) Boulder (3 trolly)	@₹20/- per cft=₹5400	7800	2400

121, दिनांक 30.1.2015	270 (cubic ft) Boulder (3 trolly)	@₹30/- per cft=₹8100	9900	1800
	450 (cubic ft) Crusher bajri (5 trolly)	@₹24/- per cft=₹10800	14000	3200
	180 (cubic ft) Boulder (2 trolly)	@₹20/- per cft=₹3600	5600	2000
	Total Excess Payment			**=₹14400**

3. 13वें वित्त आयोग की रोकड़ वही के निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ता को प्रस्ताव संख्या : 6, दिनांक 5.6.2014 में अनुमोदित दरों से निम्न विवरणानुसार ₹2300 का अधिक भुगतान किया गया था।

वा0 सं0	सामग्री	अनुमोदित दरें एवं भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक/अनुचित भुगतान (₹)
22, दिनांक 24.12.2014	180 (cubic ft) Crusher bajri (2 trolly)	@₹24/- per cft=₹4320	5600	1280
32, दिनांक 9.1.2015	1800 (cubic ft) dariya sand (2 trolly)	@₹31/- per cft=₹5580	6600	1020
	Total Excess Payment			**=₹2300**

अतः पंचायत द्वारा एक ही अवधि में भिन्न–भिन्न कार्यों में अलग–अलग दरों पर निर्माण सामग्री का क्रय करके आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹22373 का अधिक भुगतान किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

12. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14. निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –

सहायक निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)(xv)(vi)2 / 2016, खण्ड–1–4837–4840 दिनांक 06.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09
2. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत अणु, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –

सहायक निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.